संख्या-21/2026/682/94-1-2026-312(206)/2025

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 26 मार्च, 2026**

विषय : जनपद लखनऊ के उप निबंधक कार्यालय, मोहनलालगंज के आगणन प्रस्ताव के दृष्टिगत निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1243/भवन-2/शि0का0लख0/2025-26 दिनांक 23-03-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद लखनऊ के उप निबन्धक कार्यालय मोहनलालगंज के भवन निर्माण हेतु कुल आगणित लागत धनराशि रू० 228.95 लाख (रुपये दो करोड़ अठ्ठाईस लाख पिचानवे हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू० 114.475 लाख (रुपये एक करोड़ चौदह लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ मात्र) निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में कुल आगणित लागत रु० 228.95 लाख (रूपये दो करोड़ अठ्ठाईस लाख पिचानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में पचास प्रतिशत धनराशि रु० 114.475 लाख (रुपये एक करोड़ चौदह लाख सैंतालिस हजार पॉच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नांकित नवनिर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

क्र०	जनपद का नाम	स्थल का नाम	निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन का प्रकार	भूमि का स्वामित्व का प्रकार एवं क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि की उपलब्धता का विवरण हॉ नहीं	भवन की मानकीकृत लागतः आगणन (लाख में)	प्रथम किश्त हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ/उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	मोहनलालगंज	कार्यालय उ०नि० मोहनलालगंज	जनपद- लखनऊ के ग्राम मऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ की नॉन जेड०ए० गाटा संख्या-1134 संपूर्ण रकबा 791 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या-1137 मि० में 162 वर्गमीटर कुल दो किता रकबा 953 वर्गमीटर भूमि	हाँ	228.95	114.475

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1. महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025, संख्या-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनांक 16.07.2024 व समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के शासनादेश संख्या-2304/94-1-2025-312(206)/2025 दिनांक 05-12-2025 के माध्यम से निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त प्रक्रिया एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त नवनिर्माण व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मानकीकरण के अनुसार किया जायेगा। इसको सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं का होगा।

4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा।

5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

7. कार्यदायी संस्थाओं को कार्य की गुणवत्ता एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु तय समय-सीमा (धनावंटन के पश्चात यथा संम्भव 06 माह के भीतर) में किसी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा।

8. निर्माण कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने हेतु महानिरीक्षक निबंधन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

9. निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन में टाईम ओवर रन, कॉस्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21-06-2017 का अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

10. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

11. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

12. नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

13. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

14. कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवक्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में गुणवक्तापूर्वक पूर्ण हो जाये।

15. प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

16. कार्यदायी संस्था द्वारा सेंटेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17-05-2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19-05-2023 में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. महानिरीक्षक निबन्धन की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल कमेटी की स्वीकृति के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति व टेंडर जारी किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रु० 114.475 लाख (रुपये एक करोड़ चौदह लाख सैंतालिस हजार पॉच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 091 लेखा शीर्षक 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 800-अन्य व्यय, 03 स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण, 24 वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. आयुक्त, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5 प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (UPRNSS)
6. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. जिलाधिकारी, लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
9. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
10. सम्बन्धित उप महानिरीक्षक निबंधन/सहायक महानिरीक्षक निबंधन।
11. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in